भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 897

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा महाविद्यालयों में अनियमितताएं

897. # श्री नीरज डांगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई चिकित्सा महाविद्यालयों में खराब शिक्षण गुणवत्ता और महज 50 प्रतिशत छात्र उपस्थिति जैसी कई खामियां हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने आकलन में देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में धोखाधड़ी,अनियमितताओं और कदाचार की पुष्टि की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चिकित्सा महाविद्यालयों की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और ये किस सीमा तक सफल रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 10 एनएमसी को चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां बनाने और इस संबंध में आवश्यक नियम बनाने का अधिकार देती है। एनएमसी ने सूचित किया है कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश और विनियम तैयार किए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं:

i. "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 के लिए दिशानिर्देश, जिन्हें "यूजी-एमएसआर 2023" के रूप में जाना जाता है।

ii. "चिकित्सा शिक्षा मानकों का रखरखाव विनियम, 2023 (एमएसएमईआर-2023)"।

इसके अलावा, यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यान्वयन के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा परिपत्र, विनियम, दिशानिर्देश, सार्वजनिक सूचना आदि के रूप में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन (पीजीएमईआर) 2023 के अनुसार, पीजी छात्रों की कम उपस्थिति को रोकने के लिए अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 80% उपस्थिति होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानदंड में वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के मानक की निगरानी के लिए प्रावधान हैं। इसके अलावा, आधार सक्षम बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के आधार पर संकाय की उपस्थिति की निगरानी की जाती है। यदि कोई कॉलेज एनएमसी के नियमों और विनियमों या न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल पाया जाता है, तो एनएमसी के बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित दंड लगाया जा सकता है।

*****